झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
द्वादश(बजट)-सत्र
वर्ग-03

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न,बुधवार,दिनांक:- 04 माघ, 1939 (श0) / 24 जनवरी ,2018 (ई0) को

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे:-

क्रमांक	विभागों को संसूचित की गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
62	अ0सू0-02	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	मुआवजा भुगतान के संबंध में।	नगर विकास एवं आवास	14.01.18
63	अ0सू0-07	श्री राधाकृष्ण किशोर	राशि व्यय करने के संबंध में।	पथ निर्माण।	15.01.18
64	अ0सू0-05	श्री राधाकृष्ण किशोर	स्लम क्षेत्रों में सुधार लाना।	नगर विकास एवं आवास	15.01.18
65	अ0सू0-06	श्री प्रकाश राम	जाँच कर कार्य शुरू करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
66	अ0सू0-03	श्री ढुलू महतो	पड़े खदानों को जलाशय में परिवर्तन।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
67	अ0सू0-01	श्री बिरंची नारायण	अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति।	परिवहन विभाग	14.01.18
68	अ0सू0-08	श्री प्रदीप यादव	ऐजेन्सी से वसूली एवं कार्य प्रारम्भ।	पथ निर्माण	15.01.18

कृ0 पृ0 उ0------

01	02	03	04	05	06
69-अ0सू0-12	श्री मनीष जयसवाल		कर में छूट एवं दोषी पर कार्रवाई।	परिवहन	19.01.18
70-अ0सू0-09	श्री प्रदीप यादव		ऐजेन्सी द्वारा मनमानी वसूली।	नगर विकास एवं आवास	15.01.18

रॉंची
दिनांकः-24 जनवरी,2018 ई0।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-05/2015-915/वि0स0,रॉंची,दिनांकः- 20/1/2018 ई0।

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/नेता विरोधी दल,झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

20.01.18

(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-05/2015-915/वि0स0,रॉंची,दिनांकः- 20/1/2018 ई0।

प्रतिलिपि :-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

20.01.18

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-05/2015-915/वि0स0,रॉंची,दिनांकः- 20/1/18 2018 ई0।

प्रतिलिपि :-कार्यवाही शाखा/वेबसाईड शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

20.01.18

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

20/1/18

मंगल

(62)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त दिनांक–24.01.18 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–02 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में झारखंड बिल्डिंग बाँय लॉज, 2016 गठन कर दी गई है, जिसका अनुपालन सभी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, शहरी स्थानीय निकायों, क्षेत्रीय खनिज विकास प्राधिकार सहित अन्य सभी क्षेत्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकारों को करना अनिवार्य कर दी गई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित नियमावली के अध्याय–04 के कंडिका–31 (01) अन्तर्गत नक्शा स्वीकृति हेतु रोड की चौड़ाई निर्धारित है परन्तु प्रपत्र–8 (ए0) के पारा–एफ0 के अनुसार प्रत्येक भू–स्वामियों को उनके मकानों का नक्शा पास कराने में उनके निजी भूमि का कुछ अंश (भाग) संबंधित प्राधिकारों या निकायों द्वारा भविष्य में रोड निर्माण कार्य हेतु गिफ्ट डीड के माध्यम से मुक्त में लेने का प्रावधान की गई है;	स्वीकारात्मक। झारखंड भवन उपविधि, 2016 यथा संशोधित, 2017 के कंडिका–34 में Means of Access का प्रावधान किया गया है। प्राख्यापित सड़क की चौड़ाई से प्रस्तावित भवन के भू–खंड के सामने सड़क की चौड़ाई कम रहने पर, कम भू–पट्टी को दो भाग में बाँटकर आधा भाग सड़क के दोनों ओर स्थित भू–खंड में से वांछित भू–पट्टी लिए जाने का प्रावधान भवन उपविधि की कंडिका–39.7 में किया गया है। सड़क चौड़ीकरण में लिए जाने वाली भू–पट्टी का लाभ आम नागरिकों के साथ–साथ प्रभावित भू–खंड धारी को भी मिलता है। भू–खंड धारी को सड़क चौड़ीकरण के लिए दी गई भू–पट्टी पर प्रभावी Floor Area Ratio (FAR) का लाभ भी दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार संबंधित भू–खंड स्वामी को अन्य लाभों के साथ–साथ Total Built up area के रूप में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–2 में वर्णित कंडिका को विलोपित करते हुए खण्ड–01 में वर्णित प्राधिकारों एवं निकायों के क्षेत्र में भू– स्वामियों से भविष्य में रोड निर्माण कार्य के नाम पर ली जानेवाली भूमि का निर्धारित मुआवजा राशि देने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित उत्तर के आलोक में मुआवजा राशि का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–8/अ०सु०/101/2018/न०वि०आ०–452 राँची, दिनांक– 20/01/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा को उनके ज्ञा0सं0–424, दि०–14.01.18 के आलोक में प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के उप सचिव

मा0, स0वि0स0, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

<table>
<tr><th>प्रश्नकर्त्ता</th><th>उत्तरदाता
माननीय मंत्री, प0नि0वि0
उत्तर</th></tr>
<tr><td>क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –
1. क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष–2017–18 में पथ निर्माण विभाग के लिए 5464.66 करोड़ रूपये योजना उद्व्यय के लिए कर्णांकित है ;
2. क्या यह बात सही है कि राज्य उच्च पथ की सघनता के दृष्टिकोण से पिछड़ा झारखण्ड राज्य में खण्ड–1 में कर्णांकित राशि के विरूद्ध 31 दिसम्बर 2017 तक मात्र 3684.69 करोड़ रूपये ही व्यय किये जा सके हैं ;
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि शेष 1779.97 करोड़ रूपये राशि को 31 मार्च 2018 तक किस प्रकार व्यय करना चाहती है ?</td>
<td>पथ निर्माण विभाग का वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूंजीगत बजट एवं राजस्व बजट का कुल उद्व्यय रूपये 5464.66 करोड़ नहीं वरन् रूपये 5349.6572 करोड़ है । वर्ष 2017–18 में पूंजीगत बजट अंतर्गत रूपये 5000 करोड़, राजस्व बजट अंतर्गत रूपये 349.6572 करोड़, कुल 5349.6572 करोड़ का उद्व्यय एवं बजटीय प्रावधान है ।
माह दिसम्बर तक व्यय की स्थिति निम्न है :–
<table>
<tr><th></th><th>प्रावधानित राशि</th><th>व्यय दिसम्बर 2017</th><th>Amount spent</th></tr>
<tr><td>पूंजीगत बजट</td><td>5000.00 करोड़</td><td>3433.65 करोड़</td><td>69%</td></tr>
<tr><td>राजस्व बजट</td><td>349.6572 करोड़</td><td>273.28326 करोड़</td><td>78%</td></tr>
</table>
आगामी तीन महीने में शेष व्यय कर लिया जाएगा ।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–03/2018 445(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 551 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–03/2018 445(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(69)

श्री प्रकाश राम, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाल अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०– 06 से सम्बन्धित उत्तर सामग्री।

	प्रश्न :–	उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत बालुमाथ एवं बरियातु प्रखण्ड में जनहित की महत्वकांक्षी योजना Reorganization of water supply scheme का निर्माण कार्य क्रमशः 11.20 करोड़ एवं 5.41 करोड़ की लागत से करायी जा रही है;	स्वीकारात्मक। बालुमाथ ग्रामीण जलापूर्ति योजना मो0 रूपये 11,22,20,000/– के लागत तथा बरियातु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना मो0 5,64,84,000/– रूपये के लागत से बनाई जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं कराया जा रहा है, साथ ही कार्य की गति भी बहुत धीमी है;	अस्वीकारात्मक। संवेदक द्वारा सहायक अभियंता के देख–रेख में प्राक्कलन अनुरूप कार्य कराया जा रहा है तथा जो एकरारनामित समय बालुमाथ के लिए 26.09.2018 तथा बरियातु के लिए 22.08.2018 निर्धारित किया गया है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों को उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड में वर्णित दोनों योजनाओं की जाँच कर निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	योजना एकरारनामित समय के अधीन पूर्ण करा ली जाएगी।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–25/2017– 373 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय के ज्ञापांक– 545 दिनांक– 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–25/2017– 373 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

23/01/18

(66)

श्री बुलू महतो, मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–03 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में विभिन्न खनिज संपदाओं का खनन् खुली खदान के माध्यम से किया जाता है;	उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित है।
2.	क्या यह बात सही है कि खनिजों के खनन् के कारण भूगर्भ जल का स्तर उन इलाकों में काफी नीचे चला जाता है एवं ग्रामीणों को पानी की विकट समस्या का सामना करना पड़ता है;	खनिज क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना के माध्यम से सभी घरों में पेयजल आपूर्ति का कार्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कराया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि खनिज संपदाओं के खनन् के बाद बड़ी–बड़ी खदानों का कोई उपयोग नहीं रहता है जिसमें जल संग्रहण कर बड़ी–बड़ी जलाशयों का निर्माण किया जा सकता है;	खदानों में उपलब्ध जल का प्रयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा Coal India Ltd. द्वारा MoU दिनांक – 30.10.2017 को किया गया है। उक्त MoU के आधार पर खदानों में उपलब्ध जल का उपयोग पेयजलापूर्ति हेतु सुनिश्चित किया जायेगा।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, राज्य भर में ऐसे बेकार पड़े खदानों को जलाशयों में परिवर्तित करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका – 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–26/2017– 358 राँची, दिनांक :– 23/1/18
प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 546, दिनांक– 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18
(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–26/2017– 358 राँची, दिनांक :– 23/1/18
प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18
(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव
23/01/18

(67)

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

दिनांक–24.01.2018 को श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–01 की उत्तर सामग्रीः–

	प्रश्नकर्त्ता श्री बिरंची नारायण माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता श्री सी० पी० सिंह माननीय मंत्री, परिवहन विभाग
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के 24 जिलों के अंतर्गत मात्र 5 मोटरयान निरीक्षक ही कार्यरत है;	–	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि नये मोटरयान निरीक्षकों की नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन सं०–18/2016 अक्टूबर, 2016 में प्रकाशित करके, दिनांक–08.01.2017 को परीक्षा लेकर दिनांक–06.04.2017 को परीक्षाफल प्रकाशित कर दिनांक–16.05.2017 को सफल 11 व्यक्तियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन कर लिए जाने के बावजूद आज तक भी इनकी नियुक्ति नहीं की गई है;	–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल 11 अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन संबंधित निर्गत करने वाले कार्यालयों से कराया गया है। कई अभ्यर्थियों द्वारा मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विहित अहर्ता पूर्ण नहीं कर रहे हैं तथा कई अभ्यर्थियों का प्रमाण–पत्र फर्जी पाया गया है। कतिपय अभ्यर्थियों के संबंध में विधिक परामर्श भी विधि विभाग से प्राप्त की गई है जिसके कारण इनकी नियुक्ति की कार्रवाई प्रकियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि पर्याप्त संख्या में मोटरयान निरीक्षक नहीं होने से नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है;	–	परिवहन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं को ऑन–लाईन किया जा रहा है, जिसके कारण कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आई है। मोटरयान निरीक्षकों की कमी रहने के बावजूद भी ऑन–लाईन सिस्टम से आम नागरिकों परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है तथा आमजनों को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यथाशीघ्र उक्त 11 सफल और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?		उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

29/1/18
सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग

ज्ञापांक–परि०वि०(वि०स०)–01/2018 86 /राँची,दिनांक 29/1/18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, सचिवालय राँची को उनके ज्ञापांक–423 दिनांक 14.01.2018 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/1/18
सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग

(68)

मा0. स0वि0स0, श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि गंगा नदी पर साहेबगंज और मनिहारी के बीच माननीय प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2017 को पूल निर्माण का शिलान्यास किया था ; 2. क्या यह बात सही है कि अबतक कार्य प्रारंभ न होने के कारण पूल निर्माण लागत खर्च 300 करोड़ अधिक हो गया है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अतिरिक्त लागत खर्च को निर्माण करने वाली एजेंसी से वसूलने का प्रावधान कर अविलम्ब काम प्रारंभ करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	साहेबगंज में गंगा पुल परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से संबंधित भारत सरकार की परियोजना है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–02 / 2018 ..... राँची / दिनांक : .....

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 550 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

20/1/18
सरकार के उप सचिव ।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–02 / 2018 444(5) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

20/1/18
सरकार के उप सचिव ।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड सरकार (69)

परिवहन विभाग

एफ० एफ० पी० भवन, धुर्वा, राँची।

दिनांक– 24.01.2018 को माननीय सदस्य विधानसभा, श्री मनीष जायसवाल द्वारा पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू०–12 का उत्तर सामग्री

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ–साथ मुख्यालय में पदस्थापित अधिकारियों की लापरवाही में वाहनों का पंजीकरण, ट्रांसफर, डुप्लीकेट पेपर एवं रोड परमिट आदि से संबंधित कुल लगभग 56000/– कार्य विगत छः माह से लंबित है जिसमें राँची, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर एवं पलामू जिला सर्वाधिक प्रभावित है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या–30052 है जिसमें 7157 वाहन स्वमियों के द्वारा संबंधित शुल्क जमा नहीं करने के कारण मामले लंबित हैं। सभी 24 जिला परिवहन कार्यालयों में कुल 22895 मामले लंबित है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित कार्यों के न होने के कारण पूरे राज्य में सैकड़ो व्यवसायिक वाहनों का परिचालन बाधित है जिससे सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपये राशि की क्षति होने के साथ–साथ कई वाहन मालिकों पर बैंक का सूद बढ़ता जा रहा है जिससे भविष्य में उक्त मालिकों पर अत्यधिक कर्ज का बोझ के कारण आर्थिक संतुलन बिगड़ गई है;	मुख्यालय स्तर पर लगातार लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है। वाहन–4 साफ्टवेयर गत वर्ष ही लागू हुआ है। नेट कनेक्टीविटी एवं सर्वर में तकनीकी त्रुटियों के कारण एवं वाहन स्वामियों के द्वारा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण कागजात जमा किये जाने कारण भी मामले लंबित रह जाते हैं। डीलर प्वांट पर लंबित मामलों में भी कमी लाने के लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिए गए हैं ताकि डीलरों द्वारा ससमय कागजात उपलब्ध नहीं कराये जाने पर उनके ट्रेड लाईसेंस को रद्द किए जा सके।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्यहित में खण्ड–02 में वर्णित मालिकों को कर में छूट देने के साथ–साथ खण्ड–01 में वर्णित संबंधित पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उक्त कार्यों का निष्पादन विशेष कैम्प लगाकार कराने का विचार रखती है, हाँ, जो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट की गई है। मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक माह राजस्व संग्रहण की बैठक में इसकी समीक्षा की जा रही है एवं संबंधित पदाधिकारियों को लगातार निदेश दिये जा रहे है। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले जिला परिवहन पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी तथा लंबित मामलों को विशेष अभियान चलाकर एक माह के अंदर न्यूनत्तम स्तर पर लाने की कार्रवाई की जायेगी।

ह० 23/1/18

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : परि0 वि0– 95 राँची, दिनांक– 23.01.2018

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक : प्र0–836 वि0स0 दिनांक–19.01.2018 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18

सरकार के उप सचिव